संख्या:96/2025/787/35-4-2025/35-4099/165/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त,2025

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर में शासनादेश संख्या-83/2025/657/35-4-2025/35-4099/165/2023 दिनांक 25 जुलाई, 2025 द्वारा सड़क निर्माण कार्य से संबंधित कार्य **यथा-हरियाली अतिथि भवन (निकट अधियारी बाग रामलीला मैदान) से निरंकारी भवन मोड होते हुए सूरजकुण्ड कालोनी तक मार्ग का 02/04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य** की **अनुमोदित लागत रू.** 2300.99 लाख के सापेक्ष जनपद द्वारा उपलबध कराई गई सूचना के अनुसार कार्य की बचत रू. 57.76 लाख एवं प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि रू. 1150.49 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष रू. 1092.74 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश की तालिका में बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत के कॉलम में टंकण त्रुटिवश रू. 2243.00 लाख की धनराशि अंकित हो गयी है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 जुलाई, 2025 में बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत को रू. 2243.23 लाख पढ़ा जायेगा। इस सीमा तक उक्त सन्दर्भित शासनादेश संशोधित समझा जाय।

3. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 जुलाई, 2025 द्वारा अवमुक्त धनराशि में से यदि भविष्य में कोई अन्य बचत उभर कर आती है, तो धनराशि नियमानुसार राजकोष के सुसंगत खाते में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:96/2025/787(1)/35-4-2025/35-4099/165/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।